FORM-21 C

(See Rule 64)

(FOR USE IN GENERAL ELECTION WHEN SEAT IS CONTESTED)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the people ACT 1951

Election to the Legeslative Assembly of **RAJASTHAN** state from **100-AJMER NORTH** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

Shri VASUDEV DEVNANI 28, SANT KANWAR RAM COLONY, FOYSAGAR ROAD- AJMER

Sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** (Name of the recognized/ registered Political Party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place:-Ajmer

Date:-11 DECEMBER 2018

36_

(Ashok Kumar Yogi)

RETURNING OFFICER

ASSEMBLY CONSTITUENCY, 400-AJMER NORTH

Add. District Magistrate (City) Ajmer

A.D.M. (CITY) AJMER

प्रारूप-21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

100—अजमेर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :—

श्री वासुदेव देवनानी 28, सन्तकँवरराम कालोनी, फायसागर रोड—अजमेर

जो कि मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

स्थानः– अजमेर

दिनांक:- 11 दिसम्बर 2018

(अशोक कुमार योगी) रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्धायन भीत, 100—अजमेर उत्तर अतिरिक्त जिला मंजिस्ट्रेट, (शहर), अजमेर